अनुसूची १–फारम सं० ६६ ।
सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त पद्धति १९२७, फारम सं० ७३ (आधा)

क्रमिक खतियान

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया
(दो०पी०हे०टे०)

गाँव [illegible] महाल [illegible] परगना [illegible] तौजी सं० [illegible]

थाना [illegible] पट्टी थाना सं० [illegible]

स्वत्वधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या
मध्यवर्त्ती भू-स्वामी का नाम और उसकी खेवट संख्या, यदि हो ।

खतियान की क्रम संख्या ।	अभिधारी का नाम, पिता का नाम, जाति और निवास ।	खेत		भूमि का वर्ग ।	रकबा एकड़ में ।		अभ्युक्ति ।	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताएँ कि उसपर कब्जा कैसे है ।		(१) अधिभोगी रैयत की हैसियत [illegible] कब्जे की अवधि । न किस प्रकार नियत या गया, यदि आरोही ग्रेसिव) हो तो विशिष्टियाँ । ई विशेष शर्त्त और आनु- क्य बातें यदि हों ।
		खसरा संख्या ।	चौहद्दी ।					राजस्व पद [illegible] द्वारा अधि [illegible] लगान । १ । लगान ।		
१	२	३	४	५	६		७	८	९	१०
१०८	[illegible]	११२१	उ० पक्की	[illegible]	—	६०				
	[illegible]		६० [illegible]							
	[illegible]		५० [illegible]							
	[illegible]		७० [illegible]							
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									

₹1
BIHAR COURT FEE
BRCT0619348A2049M
06-JAN-2020

Record of Rights finally framed and published under section 103A (2) of the Bengal Tenancy Act VIII of 1885 as amended by Act III (B.C.) of 1898 on..........

Settlement Officer

	रु०	पै०
(1) प्रतिलिपि हेतु आवेदन शुल्क	4	
(2)	1	
(3)		
(4)	2	50
(5)		50
(6) पृष्ठों की संख्या		
(7)		
कुल शुल्क		
कुल योग शब्दों में		

सह सलाहकार प्रभारी
राजस्व अभिलेखागार, पटना

प्रतिलिपिक पढ़ा गया तुलना किया

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
अभिलेखा पाल-सह प्रभारी सहायक
धारा-७६ अधिनियम सन-१८७१
के अन्तर्गत अधिकृत ।

62
3.1.20